प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1498/2025

आनंद कुमार कश्यप पिता श्याम लाल कश्यप 30 वर्ष , निवासी गाँव कनहाई चौकी नैला पुलिस थाना जांजगीर जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ ,कनिष्ठ आसूचना अधिकारी के द्वारा, एन. सी. बी. इंदौर।

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु:-- श्री शैलेंद्र दुबे, अधिवक्ता तथा सुश्री शिवाली दुबे ,अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :--श्री रमाकांत मिश्रा, डी. एस. जी. आई.

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

06/05/2025

1. याचिकाकर्ता ने विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), जांजगीर, जिला जांजगीर- चांपा (सीजी) द्वारा एससीसी एनडीपीएस अधिनियम संख्या 01/2024 में पारित दिनांक 21-04-2025 के आदेश के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएसएस 2023") की धारा 528 के तहत वर्तमान दाण्डिक विविध याचिका दायर की है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 के तहत दायर अभियोजन पक्ष के आवेदन को अनुमति दी है, और श्री एस भगत को उनकी परीक्षण के लिए अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता उपरोक्त दाण्डिक प्रकरण एससीसी एनडीपीएस एक्ट क्रमांक 01/2024 में अभियुक्त है तथा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में "एनडीपीएस एक्ट") की धारा 8, 20, 25, 27-ए और 29 के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा के समक्ष अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहा है। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्षीयों की परीक्षा की गई, अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया तथा पक्षों की सुनवाई के पश्चात प्रकरण का निर्णय दिनांक 02-04-2025 को सुनाया जाना निर्धारित किया गया।

3. दिनांक 01-04-2025 को अभियोजन पक्ष ने बैंक अधिकारी श्री एस भगत को अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 2023 की धारा 348 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में कहा गया है कि अभियुक्त ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चांपा शाखा में अपना बैंक खाता खोला था, परंतु त्रुटिपूर्ण से उसका नाम साक्षीयो की सूची में नहीं आ सका और इसलिए उससे अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की जा सकी, जबकि उस बैंक के शाखा प्रबंधक से परीक्षा की गई है जिसकी शाखा में उसने बैंक खाता खोला था।वह अधिकारी, जिसने बैंक में अभियुक्त का बैंक खाता खोला था, एक महत्वपूर्ण साक्षी है, और उसे बैंक के सुसंगत दस्तावेजों के साथ अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता/अभियुक्त ने उत्तरवादी/अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन का जवाब दिया था और प्रस्तुत किया था कि पूरे आरोप पत्र में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि श्री एस भगत ने बैंक की चंपा शाखा में याचिकाकर्ता/अभियुक्त का बैंक खाता खोला था। वह उद्धृत साक्षी नहीं है और उसे अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में कमी को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, वह भी वाद के अंत में, विशेष रूप से जब मामला निर्णय पारित करने के लिए निर्धारित किया गया था।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त साक्षी को बुलाने से याचिकाकर्ता/अभियुक्त के अधिकार प्रभावित होंगे तथा उसके बचाव को गंभीर रूप से प्रतिकूल होगा। इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

5. पक्षों की सुनवाई के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 21-04-2025 को आदेश पारित किया, जिसमें अभियोजन पक्ष के श्री एस भगत को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने के आवेदन को स्वीकार किया गया।दिनांक 21-04-2025 के उक्त आदेश को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ता/आरोपी के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि आरोपित आदेश में भौतिक अनियमितता और अवैधता है।एक बार जब मामला निर्णय पारित करने के लिए बंद हो जाता है, तो बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 के तहत आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।यह अभियोजन पक्ष के मामले में कमी को पूरा करने के बराबर होगा।उक्त साक्षी, श्री एस भगत, उद्धृत साक्षी नहीं हैं।यह बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 के प्रावधानों के अधिदेश के भी विरुद्ध होगा, और अभियोजन पक्ष ऐसे साक्षी को नहीं बुला सकता जो उद्धृत साक्षी नहीं हैं।यदि अभियोजन पक्ष साक्षी से परीक्षा करना चाहता है, तो उसे पूरक आरोप पत्र दाखिल करके और

उसके बयान की प्रति उपलब्ध कराकर दं. प्र. सं. की धारा 173 (8) (बीएनएसएस, 2023 की धारा 193 (9)) के विवेक का प्रयोग करना चाहिए ताकि याचिकाकर्ता/अभियुक्त को अपने पिछले बयान से विरोधाभास करने का अवसर मिल सके। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 की शक्तियों का न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से, क्योंकि यह याचिकाकर्ता/अभियुक्त के मूल्यवान विधिक अधिकारों को प्रभावित करता है।इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए, और उत्तरवादी /अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

7. इसके विपरीत, प्रउत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों का विरोध करते है और प्रस्तुत किया है कि, बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 के प्रावधानों के अनुसार, साक्षी को निर्णय से पहले किसी भी समय बुलाया जा सकता है, जिसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है।वर्तमान मामले में, श्री एस भगत ने याचिकाकर्ता/अभियुक्त का बैंक खाता खोला है और वह आवश्यक साक्षी हैं। गलती से, उनका नाम अभियोजन पक्ष के साक्षी की सूची में छोड़ दिया गया है, लेकिन आरोप पत्र की सामग्री में यह तथ्य है कि बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चंपा शाखा में खोला गया था।उन्होंने यह भी कहा कि कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता/अभियुक्त को साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार है। बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 के तहत दिए गए अधिकार का लाभ उठाना मामले में कमी को पूरा करने के बराबर नहीं है। उन्होंने परिवाद के कंडिका 91 का संदर्भ दिया और कहा कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त ने दस्तावेज और अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चांपा शाखा में बैंक खाता खोला था।विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग किया है और उस आवेदन को स्वीकार किया है जिसमें कोई अवैधता नहीं है, और वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

9. वर्तमान याचिका में शामिल मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय किसी ऐसे साक्षी को बुला सकता है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, वह भी वाद के अंत में या नहीं।यहाँ सुविधा हेतु बी. एन. एस. एस., 2023 की धारा 348 के प्रावधानों को उद्धृत करना उचित है, जो निम्नानुसार हैः---

"348. महत्वपूर्ण साक्षी को समन या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। –

कोई भी न्यायालय, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है, यद्यपि उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है; और न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाएगा और उसकी परीक्षा

करेगा या वापस बुलाएगा और पुनः परीक्षा करेगा यदि उसका साक्ष्य उसे मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।"

10. किसी भी समय सुसंगत तथ्यों का पता लगाने या उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी गवाह से प्रश्न पूछने की विचारण न्यायालय की शक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 168 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165) में प्रदान की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 168 को भी नीचे उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है:---

"प्रश्न पूछने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति।

168. न्यायाधीश, सुसंगत तथ्यों का पता लगाने या उनका सबूत प्राप्त करने के लिए, किसी भी तथ्य के बारे में किसी भी साक्षी से, या पक्षकारों से, किसी भी रूप में, किसी भी समय, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जिसे वह आवश्यक समझता है; और कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का आदेश दे सकता है; और न तो पक्षकारों और न ही उनके प्रतिनिधियों को ऐसे किसी प्रश्न या आदेश पर कोई आपत्ति करने का अधिकार होगा, और न ही न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी उत्तर पर किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा:परंतु कि निर्णय इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए और सम्यक् रूप से सिद्ध तथ्यों पर आधारित होना चाहिए:

इसके अलावा यह धारा किसी न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी, जिसका उत्तर देने या पेश करने से ऐसा साक्षी इनकार करने का हकदार होगा, यदि प्रश्न प्रतिकूल पक्ष द्वारा पूछा गया हो या दस्तावेज मांगा गया हो; न ही न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 151 या 152 के तहत पूछना अनुचित होगा; न ही वह किसी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य से छूट देगा, सिवाय इसके कि इसमें पूर्व अपवादित मामलों में ऐसा किया गया हो।"

11. वर्तमान मामले में विचार के लिए सुसंगत मुख्य शब्द हैं "किसी भी स्तर पर", "किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाना" और "मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक"।बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 में प्रयुक्त वाक्यांश के अनुसार, निर्णय सुनाए जाने पर विचारण समाप्त हो जाता है, और तब तक, न्यायालय के पास इस धारा के तहत कार्य करने की शक्ति है।इसलिए, एक साक्षी को बुलाया जा सकता है और उससे परीक्षा की जा सकती है, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हो गए हों और मामला निर्णय हेतु निर्धारित किया गया है। "जमतराज केवलजी गोवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य" एआईआर 1968 एससी 178 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10 और 14 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:---

"10. धारा 540 को व्यापक बनाने का इरादा है क्योंकि इसकी पूरी लंबाई में 'कोई भी' शब्द का बार-बार उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है। धारा दो भागों में है। पहला भाग विवेकाधीन शक्ति देता है लेकिन दूसरा भाग अनिवार्य है।पहले भाग में 'हो सकता है' और दूसरे भाग में 'करेगा' शब्द का प्रयोग इस अंतर को दृढ़ता से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्थापित करता है। पहले भाग के अंतर्गत, जो अनुमेय है, न्यायालय तीन तरीकों में से एक में कार्य कर सकता है: (क) किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाना, (ख) न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति की जांच करना, यद्यपि उसे बुलाया नहीं गया है, और (ग) पहले से जांचे जा चुके गवाह को वापस बुलाना या फिर से जांचना।दूसरा भाग अनिवार्य है और न्यायालय को इन तीन तरीकों में से किसी एक में कार्य करने के लिए बाध्य करता है, यदि मामले का न्यायसंगत निर्णय इसकी मांग करता है। जैसा कि धारा में बताया गया है, न्यायालय की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, जो उस चरण से उत्पन्न होती है जिस पर विचारण पहुंच सकता है, परंतु कि न्यायालय इस राय का सद्भावपूर्वक हो कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए, कदम उठाया जाना चाहिए।यह स्पष्ट है कि मामले के न्यायोचित निर्णय की अपेक्षा केवल अभियुक्त के हित में कार्रवाई को सीमित नहीं करती है। कार्यवाही से अभियोजन पक्ष को भी समान रूप से लाभ हो सकता है।हालाँकि, मामले के दो पहलू हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए, पहला यह है कि अभियोजन पक्ष को बचाव पक्ष के साक्ष्य का खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि कैदी अचानक और अप्रत्याशित रूप से कुछ सामने न लाए। इसे टिंडल, सी.जे. ने उन शब्दों में निर्धारित किया था जिन्हें अक्सर उद्धृत किया जाता है:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य नियम यह है कि जहां क्राउन सिविल मुकदमे में वादी की तरह अपना मामला शुरू करता है, वे बाद में नए गवाहों को बुलाकर अपने मामले का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इसका खंडन करते हैं। वे अपने द्वारा दिए गए साक्ष्यो के आधार पर खड़े होते हैं या गिरते हैं।बचाव पक्ष की कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्हें अपना मामला बंद कर देना चाहिए; लेकिन यदि कोई मामला अचानक उत्पन्न हो जाता है, जिसे कोई मानवीय बुद्धि नहीं देख सकती, किसी सिविल मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से, या किसी फौजदारी मामले में कैदी की ओर से, तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि जो मामला अचानक उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर क्राउन की ओर से विपरीत साक्ष्य द्वारा क्यों न दिया जाए।"[रेग बनाम फ्रॉस्ट 1]

हालाँकि, इसका दूसरा पहलू भी है, न्यायालय की शक्ति जिसका प्रयोग न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुँचने के लिए किया जाना चाहिए।इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है।जैसा कि रेक्स बनाम डोरा हैरिस में एवरी जे. ने कहा है:"रेग बनाम चैपमैन, (8 सी एंड पी. 558) और रेग बनाम होल्डन, (8 सी एंड पी. 606) के मामले इस प्रस्ताव को स्थापित करते हैं कि आपराधिक विचारण में पीठासीन न्यायाधीश को अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष द्वारा नहीं बुलाए गए साक्षी को बुलाने का अधिकार है, अगर उनकी राय में न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। यह सत्य है कि किसी भी मामले में कार्यवाही में उस बिंदु को सीमित करने वाला कोई नियम नहीं बनाया गया है जिस पर न्यायाधीश उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है।"

हालांकि विद्वान न्यायाधीश ने बताया कि अन्याय तब तक संभव है जब तक कि उस अधिकार के प्रयोग पर कुछ सीमा न लगाई जाए और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए टिंडल, सी.जे. द्वारा रेग बनाम फ्रॉस्ट में निर्धारित नियम को अपनाया, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां बचाव पक्ष के मामले के बंद होने के बाद न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

द्वारा गवाह को बुलाया जाता है, और कहा, "यह अभ्यास ऐसे मामले तक सीमित होना चाहिए जहां मामला बिना सोचे–समझे उठता है, जिसे कोई मानवीय सरलता कैदी की ओर से पूर्वानुमानित नहीं कर सकती है, अन्यथा अन्याय होगा" और रेग बनाम हेन्स के मामले का हवाला देते हैं जहां ब्रैमवेल बी ने पूरे मामले के बंद होने के बाद नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। डोरा हैरिस मामले में, पांच व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, दो चोरी के लिए और उन्होंने दोषी होने का तर्क दिया और तीन अन्य को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने दोषी होने की तर्क नही दिया गया । पहले दो लोग कटघरे में रहे और अन्य तीन के खिलाफ वाद चला। उन्होंने अपनी ओर से साक्ष्य दिए और अभियोजन पक्ष का मामला बहुत मजबूत नहीं था। इसके बाद रिकार्डर ने अन्य दो अभियुक्त में से एक को साक्ष्य देने के लिए कहा तथा उस कैदी डोरा को, जिसकेखिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दे दी, लेकिन डोरा को नए साक्ष्य का खंडन करने के लिए पुनः बॉक्स में जाने के लिए नहीं कहा। दाण्डिक अपील न्यायालय ने इसे न्यायालय की शक्ति का गलत प्रयोग माना है। यह शक्ति के प्रयोग का चरम उदाहरण था।यह शक्ति के प्रयोग का एक चरम उदाहरण था।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे दाण्डिक क्षेत्राधिकार में, वैधानिक विधिक वाद के किसी भी चरण में किसी साक्षी को बुलाने या न्यायालय में उपस्थित किसी साक्षी से परीक्षा करने या पहले से ही परीक्षा किए गए साक्षी को वापस बुलाने के लिए पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करता है, और इसे न्यायालय का कर्तव्य और दायित्व बनाता है, परंतु मामले का न्यायसंगत निर्णय इसकी मांग करता हो।दूसरे शब्दों में, जहां न्यायालय दूसरे भाग के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, जांच यह नहीं हो सकती कि क्या अभियुक्त ने अचानक या अप्रत्याशित रूप से कुछ लाया है, बल्कि जांच यह होनी चाहिए कि क्या न्यायालय यह सोचने में सही है कि मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए उसे नए साक्ष्य की आवश्यकता है।यदि न्यायालय ने न्यायोचित निर्णय की अपेक्षाओं के बिना कार्य किया है, तो उस कार्य की आलोचना की जा सकती है, लेकिन यदि न्यायालय के कार्य को न्यायोचित निर्णय के समर्थन में माना जा सकता है, तो उस कार्य को अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य नहीं माना जा सकता है।"

12. "**मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य**" 1991 सप (1) एससीसी 271 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10, 15 और 27 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:---

"10. साक्ष्य कानून में यह एक प्रमुख नियम है कि किसी तथ्य या विवादित बिंदुओं को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।लेकिन यह अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष पर छोड़ दिया गया है कि वे सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना मामला स्थापित करें और संहिता के प्रावधानों के तहत न्यायालय को अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को अपने पक्ष के किसी विशेष साक्षी या साक्षीयो की परीक्षा करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है।फिर भी, यदि कोई भी पक्षकार ऐसा कोई साक्ष्य नहीं रखता है जिसे पेश किया जा सकता है और जो पेश किए जाने पर उस पक्षकार के लिए प्रतिकूल होगा जो ऐसा साक्ष्य पेश कर रहा है, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (जी) के तहत अनुमान लगा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दो पक्षों के बीच मुक़ाबले में केवल एक निर्णायक के रूप में बैठना चाहिए और मुक़ाबले के अंत में यह घोषित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करना चाहिए कि कौन जीता है और कौन हारा है या क्या उसका अपना कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है कि वह पक्षों से स्वतंत्र होकर सत्य की खोज करने और न्याय करने की कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाए?यह एक सर्वमान्य और स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को न्याय प्रदान करने में अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन – चाहे वे विवेकाधीन हों या अनिवार्य – कानून के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का कर्तव्य न केवल न्याय करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि न्याय किया जा रहा है।न्यायालय को सत्य का पता लगाने और न्यायपूर्ण निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए संहिता की धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) के हितकर प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी न्यायालय जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से परीक्षा कर सकता है, यद्यपि उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है या पुनः परीक्षा कर सकता है, यद्यपि उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है या वापस बुला सकता है और पहले से पूछताछ किए गए किसी भी व्यक्ति से पुनःपरीक्षा कर सकता है, जिससे आक्षेपित मामले पर प्रकाश डालने की अपेक्षा की जाती है; क्योंकि यदि तथ्यों के अपूर्ण, अनिर्णायक और काल्पनिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं, तो न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. दंड प्रक्रिया संहिता और सी.पी.सी. के तहत उपरोक्त विशिष्ट प्रावधानों के अलावा, आपराधिक और सिविल न्यायालयों को, जैसा भी मामला हो, साक्षीयों को बुलाने और उनसे परीक्षा करने का अधिकार दिया गया है, सुसंगत तथ्यों की खोज करने या उनका सबूत प्राप्त करने के लिए न्यायाधीश को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत उस धारा के प्रावधान के अधीन सभी विशेषाधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, जो शक्ति उसे साक्ष्य अधिनियम के तहत प्राप्त है। पुरानी संहिता की धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है और जैसा कि इस न्यायालय ने जमातराज केवलजी गोवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में कहा है, "ये दोनों धाराएँ न्यायाधीश को न्याय की सहायता के लिए कार्य करने का अधिकार प्रदान करती हैं।"

27. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों से जो विधि का सिद्धांत उभर कर आता है, वह यह है कि दंड न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाने या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाने और पुनःपरीक्षा करने की पर्याप्त शक्ति है, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हो चुके हों और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से स्थिति की अनिवार्यता द्वारा निर्धारित होना चाहिए, और निष्पक्षता तथा सदबुद्धि ही एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक प्रतीत होते हैं और केवल न्याय की आवश्यकताएं ही किसी व्यक्ति की परीक्षा का आदेश देती हैं और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।"

13. "मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य"2019 (6) एससीसी 203 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:---

"10. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 311 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने का आशय है कि न्यायालय द्वारा अभिलेख को सही रखने और साक्ष्य के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए हर आवश्यक और उचित उपाय किए जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी के साथ कोई पूर्वाग्रह न हो।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत निहित सिद्धांतों और उसके अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों के विस्तार को इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। नताशा सिंह बनाम सीबीपी में, हालांकि गवाहों की जांच के लिए आवेदन अभियुक्त द्वारा दायर किया गया था, लेकिन धारा 311 के तहत शक्तियों के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों पर, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार टिप्पणी की:(एस. सी. सी. पीपी. 746 और 748-49, कंडिका 8 और 15) "8

दं. प्र. सं. कि धारा 311 न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने, या दं. प्र. सं. के तहत "किसी भी जांच", या "विचारण", या "किसी अन्य कार्यवाही" के "किसी भी चरण" में उपस्थित व्यक्ति की जांच करने, या किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाने, या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से जांच करने का अधिकार देता है, जिसकी पहले ही जांच की जा चुकी है, यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।निस्संदेह, दं. प्र. सं. ने इस संबंध में न्यायालय को बहुत व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान की है, लेकिन इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से।इस संदर्भ में न्यायालय की शक्ति बहुत व्यापक है, और इसके प्रयोग में वह किसी भी व्यक्ति को वाद या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में साक्षी के रूप में बुला सकता है। न्यायालय ऐसी शक्ति का प्रयोग स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, भले ही दोनों पक्षों में से किसी ने भी ऐसा कोई आवेदन दायर न किया हो।हालाँकि, न्यायालय को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि मामले के न्यायोचित निर्णय पर पहुंचने के लिए ऐसे साक्षी की परीक्षा करना या उसे आगे की परीक्षा के लिए वापस बुलाना वास्तव में आवश्यक था।

* * *

15. प्रावधान का दायरा और उद्देश्य न्यायालय को सत्य का निर्धारण करने और सभी सुसंगत तथ्यों की खोज करने तथा ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के बाद मामले के न्यायोचित निर्णय पर पहुंचने के लिए न्यायोचित निर्णय देने में सक्षम बनाना है। शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, न कि स्वेच्छाचारिता या मनमाने ढंग से, क्योंकि ऐसी शक्ति का कोई भी अनुचित या स्वेच्छाचारितापूर्ण प्रयोग अवांछनीय परिणामों को जन्म दे सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत किसी आवेदन को केवल अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के मामले में कमी को पूरा करने के लिए या अभियुक्त के लिए नुकसानदेह होने के लिए या अभियुक्त के बचाव के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए या विपक्षी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, अतिरिक्त साक्ष्य को पुनर्विचार के लिए छिपाने के लिए या किसी भी पक्ष के खिलाफ मामले की प्रकृति को बदलने के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।ऐसी शक्ति का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, परंतु कि साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य संबंधित मुद्दे से संबंधित हो। हालांकि, दूसरे पक्ष को खंडन का अवसर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अवश्य दिया जाना चाहिए।इसलिए, दं. प्र. सं. कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाना चाहिए, मजबूत और वैध कारणों से, और इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। "किसी भी न्यायालय", "किसी भी स्तर पर", या "या किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही", "किसी भी व्यक्ति" और "किसी भी ऐसे व्यक्ति" जैसे शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से बताता है कि इस खंड के प्रावधानों को व्यापक संभव शब्दों में व्यक्त किया गया है, और किसी भी तरह से अदालत के विवेक को सीमित नहीं करता है।इस प्रकार, यदि प्राप्त किया जाने वाला नया साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है, तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए निर्णायक कारक यह होना चाहिए कि क्या उक्त गवाह को बुलाना/वापस बुलाना वास्तव में मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है।"

(मूल में जोर दिया गया)

14. "वी. एन. पाटिल बनाम के. निरंजन कुमार एवं अन्य" 2021(3) एससीसी 661 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. दं. प्र. सं. कि धारा 311 के तहत शक्ति के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा विजय कुमार बनाम यूपी राज्य 2 में सुस्थापित किया गया है। (एससीसी पृष्ठ 141, कंडिका 17)

"17.यद्यपि धारा 311 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है तथा इसे यथासंभव व्यापक शब्दों में व्यक्त किया गया है, तथापि उक्त धारा के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग केवल न्याय के उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। विवेकाधिकार का प्रयोग संहिता के प्रावधानों तथा आपराधिक कानून के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए।धारा 311 के तहत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से या स्वेच्छाचारिता से। विद्वान विशेष न्यायाधीश को श्रीमती रुचि सक्सेना से न्यायालयीन गवाह के रूप में पूछताछ करने का निर्देश देने से पहले, उच्च न्यायालय ने विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारणों की परीक्षा नहीं की कि उनसे न्यायालयीन गवाह के रूप में परीक्षा करना क्यों आवश्यक नहीं था और बिना कोई कारण बताए आक्षेपित निर्देश दे दिया।

16. इस सिद्धांत को मन्नान शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 3 और उसके बाद रतनलाल बनाम प्रहलाद जार और स्वप्न कुमार चटर्जी बनाम सीबीएस में दोहराया गया है। स्वप्न कुमार चटर्जी के सुसंगत कंडिका इस प्रकार हैं:(स्वपन कुमार चटर्जी मामले, एस. सी. सी. पी.331,कंडिका 10-11)

"10.इस धारा का पहला भाग, जो अनुमेय है, आपराधिक न्यायालय को पूर्णतया विवेकाधीन प्राधिकार देता है तथा संहिता के अधीन जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे तीन तरीकों में से किसी एक में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, अर्थात्, (i) किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाना; या (ii) उपस्थित किसी व्यक्ति की जांच करना, यद्यपि उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया हो; या (iii) पहले से

जांचे जा चुके किसी व्यक्ति को वापस बुलाना और उसकी पुनः जांच करना। दूसरा भाग, जो अनिवार्य है, न्यायालय पर (i) किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने और उसकी जांच करने, या (ii) किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाने और उसकी पुनः जांच करने का दायित्व डालता है, यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

11. यह सर्वविदित है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए ही किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।इस धारा के तहत न्यायालय को न्याय के हित में आवश्यक पुन: परीक्षण या आगे की परिक्षण हेतु साक्षीयों को वापस बुलाने की भी शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद ही किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय का यह विचार है कि आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए दायर किया गया है, तो इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा।"

15. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशो ने "के.पी. तमिलमारन बनाम राज्य पुलिस उपाधीक्षक द्वारा", 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 958 के मामले में यह निर्णय दिया है कि:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"47. आगे बढ़ने से पहले, हम दं. प्र. सं. की धारा 311 से संबंधित कानून पर विचार करना आवश्यक समझते हैं जिसके तहत पी.डब्लू.-49 को साक्षी के रूप में बुलाया गया था।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 इस प्रकार हैः

"311. भौतिक साक्षी को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति से परीक्षा करने की शक्ति।कोई भी न्यायालय, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकता है, या उपस्थित किसी व्यक्ति की, यद्यपि उसे साक्षी के रूप में समन नहीं किया गया है, परीक्षा कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है; और यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि उसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है, तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को समन करेगा, उसकी परीक्षा करेगा, या वापस बुलाएगा और पुनः परीक्षा करेगा।"दंड प्रक्रिया संहिता की यह धारा 311 आपराधिक न्यायालय को निम्नलिखित कार्य करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करती हैः

i. किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाना, या ii.न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से परीक्षा करें, हालांकि साक्षी के रूप में तलब नहीं किया गया है, या iii.पहले से परीक्षा किए गए किसी भी व्यक्ति को याद करें तथा फिर से परीक्षा करें।उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग सीआरपीसी के तहत 'किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में' किया जा सकता है। प्रावधान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। धारा के पहले भाग में 'कर सकता है' शब्द का प्रयोग किया गया है जो न्यायालय को गवाह को बुलाने का विवेकाधिकार देता है।इसके विपरीत, धारा के दूसरे भाग में 'करेगा' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो न्यायालय

पर यह कर्तव्य डालता है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाए, उसकी जांच करे, उसे वापस बुलाए या फिर से जांच करे, जब न्यायालय को ऐसा लगे कि मामले में न्यायोचित निर्णय के लिए ऐसा करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, दूसरा भाग अनिवार्य है, और न्यायालयों को धारा 311 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है, जब किसी व्यक्ति का साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक होता है।(देखिएःजमातराज केवलजी गोवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1967 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 19)

48. जैसा कि प्रावधान की भाषा से ही स्पष्ट है, धारा 311 सीआरपीसी के तहत न्यायालयों के पास व्यापक विवेकाधिकार है। इन शक्तियों का प्रयोग स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर किया जा सकता है।आखिरकार, उद्देश्य यह है कि न्यायालय को किसी भी मूल्यवान साक्ष्य के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।यह अत्यंत आवश्यक है कि न्यायालय को उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य से अवगत कराया जाए। इस प्रकार, न्यायालयों को स्वयं निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं कि क्या किसी गवाह को परीक्षा या पुनः परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए या वापस बुलाया जाना चाहिए।दं. प्र. सं. कि धारा 311 के तहत इस शक्ति का इस्तेमाल मुकदमे के किसी भी चरण में किया जा सकता है, यहां तक कि साक्ष्य के बंद होने के बाद भी। दं. प्र. सं. कि धारा 311 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के साथ भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय की शक्तियाँ दं. प्र. सं. की धारा 311 की पूरक हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दं. प्र. सं. कि धारा 311 के तहत शक्तियों का प्रयोग या तो मामले में किसी भी पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर या न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर किया जा सकता है।यदि किसी व्यक्ति को आरोप–पत्र में साक्षी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन बाद में अभियोजन पक्ष उस व्यक्ति को अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में लाना चाहता है, तो अभियोजन पक्ष उस व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में लाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद यह निर्णय न्यायालय को करना है कि ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में लाने की आवश्यकता है या नहीं।यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति से अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में परीक्षा की जानी चाहिए थी और उसे किसी चूक, गलती या किसी अन्य कारण से साक्षी की सूची से हटा दिया गया था, तो न्यायालय आवेदन को स्वीकार कर सकता है और ऐसे व्यक्ति से अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में परीक्षा की जा सकती है। इसके बाद, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा आदि की सामान्य प्रक्रिया प्रक्रिया के अनुसार चलेगी।दूसरी ओर, जब न्यायालय किसी व्यक्ति को न्यायालय के साक्षी के रूप में बुलाता है, तो ऐसे साक्षी से प्रतिपरीक्षा के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं।

49. ऐसे मामले में जहां कोई भी पक्षकार किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षित करने में रुचि नहीं रखता है, फिर भी न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है, यद्यपि न्यायालय अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को साक्षी बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, किन्तु वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के साथ पठित दं. प्र. सं. की धारा 311 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को न्यायालय का साक्षी बुला सकता है।न्यायसंगत निर्णय हेतु किसी व्यक्ति से साक्षी के रूप

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में पूछताछ करने की आवश्यकता है या नहीं, यह फिर से एक प्रश्न है जिसका निर्णय उस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा किया जाना है।(देखिएःराम पासवान बनाम झारखंड राज्य, (2007) 11 एस. सी. सी. 191)

50. जहां तक न्यायालय के साक्षी से प्रतिपरीक्षा का सवाल है, कोई भी पक्ष न्यायालय के साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है।न्यायालय के साक्षी से केवल न्यायालय की अनुमति से ही परीक्षा की जा सकती है [देखें:ज़हीरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य, (2006) 3 एससीसी 374 और जमातराज (सुप्रा)]।जहां न्यायालय का साक्षी किसी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण कुछ कहता है, तो ऐसे पक्ष को उस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

51. साथ ही, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, न्यायालय के साक्षीयों से किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, लेकिन केवल न्यायालय की अनुमति से।इसके अलावा, प्रतिपरीक्षा केवल उसी तक सीमित होनी चाहिए जो इस साक्षी ने न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर में कही है, और न्यायालय के गवाह को पुलिस के समक्ष दिए गए उसके पिछले बयानों अर्थात दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत बयानों का खंडन नहीं किया जा सकता है। दं. प्र. सं. की धारा 162(1)5 के प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल अभियोजन पक्ष के साक्षी के पिछले धारा 161 दं. प्र. सं. बयानों का खंडन किया जा सकता है।दं. प्र. सं. की धारा 162(1) के प्रावधान के तहत, किसी भी अभियोजन पक्ष के साक्षी के दं. प्र. सं. कि धारा 161 सीआरपीसी के बयानों का इस्तेमाल बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष प्रतिपरीक्षा के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए पूर्व बयानों के संबंध में अपने स्वयं के साक्षी का खंडन भी कर सकता है, लेकिन यह केवल न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है। [देखिएःमहाबीर मंडल बनाम बिहार राज्य, (1972) 1 एस. सी. सी. 748, दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2019) 16 एस. सी. सी. 547]फिर भी, इनमें से कोई भी प्रतिबंध न्यायालय पर लागू नहीं होता है, जिसके पास साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत कोई भी प्रश्न पूछने का व्यापक अधिकार है। न्यायालयों को ऐसे प्रश्न पूछने से कोई रोक नहीं है जो गवाह द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए पिछले बयानों के साथ विरोधाभासी हों। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय की विशेष शक्तियां दं. प्र. सं. की धारा 162 के प्रावधानों द्वारा बाधित या नियंत्रित नहीं होती हैं। (देखें: रघुनंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1974) 4 एससीसी 186)

52. साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय की शक्तियों और मुकदमे के सार्थक संचालन में धारा 165 के महत्व को न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी ने राम चंद्र बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 3 एससीसी 191 में अपने पत्रों की विशिष्ट स्पष्टता के साथ शानदार ढंग से समझाया है:

"दाण्डिक प्रकरण की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश की वास्तविक भूमिका क्या हैक्या उसे फुटबॉल मैच में रेफरी या क्रिकेट मैच में अंपायर की भूमिका निभानी है, कभी–कभी जैसा कि पोलक और मैटलैंड [पोलक और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मैटलैंड]: अंग्रेजी कानून का इतिहास] बताते हैं, "यह कैसे है" सवाल का जवाब देते हुए, या, क्या उसे लॉर्ड डेनिंग के शब्दों में "एक न्यायाधीश की पोशाक छोड़ कर एक वकील की पोशाक धारण करनी है?"" [जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड, [1957] 2 समस्त ई. आर. 155:[1957] 2 **WLR** 760] क्या उसे वाद में दर्शक बनना है या भागीदार? क्या निष्क्रियता या सक्रियता उसके रवैये को दर्शाएगी? यदि वह किसी साक्षी से सवाल करना चाहता है, तो वह किस हद तक जा सकता है?क्या वह दस्ताने पहनकर उस साक्षी पर 'प्रहार' कर सकता है जिसके बारे में उसे संदेह है कि वह झूठ बोल रहा है या उसे नरम और विनम्र होना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें इस अपील में खुद से पूछने के लिए विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने कुछ साक्षीयों से प्रश्न किए थे।

2. वाद की प्रतिकूल प्रणाली जैसी है, उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है कि वाद की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश रेफरी या अंपायर की भूमिका अपना लेता है और वाद को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच प्रतिस्पर्धा में बदल देता है, जिससे वाद की प्रक्रिया में लड़ाकू और प्रतिस्पर्धी तत्वों के प्रवेश से अपरिहार्य विकृतियां उत्पन्न होती हैं।यदि किसी आपराधिक न्यायालय को न्याय प्रदान करने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और मात्र रिकॉर्डिंग मशीन बनना बंद कर देना चाहिए। उसे सत्य का पता लगाने के लिए गवाहों से प्रश्न पूछकर बुद्धिमानी से सक्रिय रुचि दिखाते हुए वाद में भागीदार बनना चाहिए। जैसा कि हममें से एक ने अतीत में कहा था:

"हर आपराधिक विचारण खोज की एक यात्रा है जिसमें सत्य की खोज होती है।एक पीठासीन न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह सत्य की खोज करने और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने लिए खुले हर रास्ते का पता लगाए।इस उद्देश्य के लिए उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 द्वारा स्पष्ट रूप से साक्षी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है।वास्तव में न्यायाधीश को दिया गया अधिकार इतना व्यापक है कि वह किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी साक्षी से या किसी भी तथ्य के बारे में पक्षकारों से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, चाहे वह सुसंगत हो या असंगत।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172(2) न्यायालय को किसी मामले में पुलिस-डायरी मंगवाने और वाद में सहायता के लिए उसका उपयोग करने का अधिकार देती है। सत्र न्यायाधीश द्वारा वाद में आगे सहायता के लिए कमिटिंग मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के अभिलेख का भी अवलोकन किया जा सकता है।"

3. इतनी व्यापक शक्तियों के साथ, न्यायालय को सच्चाई को सामने लाने और कमज़ोर और निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए वाद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। बेशक, उसे सवाल पूछने में अभियोजक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। अधिवक्ता के कार्य, विशेष रूप से लोक अभियोजक के कार्य, न्यायाधीश द्वारा अखाड़े में उतरकर, हड़पे नहीं जाने चाहिए।न्यायाधीश द्वारा पूछे गए कोई भी प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि वे गवाहों को डराएं, मजबूर करें, भ्रमित करें या डराएं नहीं..."

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

53. न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी आगे कहते हैं कि न्यायाधीश "किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी साक्षी से, या पक्षों से, किसी भी तथ्य के बारे में, सुसंगत या असंगत, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं"। परंतु ऐसा करते समय न्यायाधीश को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को अपने साथ रखना चाहिए।"

16. न्यायालय को बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 (सीआरपीसी की धारा 311) के अनुसार वाद के किसी भी चरण में गवाह को बुलाने और उसकी जांच करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और साक्षीयों का बंद होना पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। "वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य" 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 986 के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए या असावधानी के कारण कोई प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, तो न्यायालय को ऐसी गलती को सुधारने की अनुमति देने में उदारता दिखानी चाहिए।कंडिका 45 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः---

"45. अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है। हालांकि, मीना ललिता बरुवा (सुप्रा) में, राजेंद्र प्रसाद (सुप्रा) को दोहराते हुए, न्यायालय ने कहा कि दाण्डिक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियोजन पक्ष को न्याय के हित में त्रुटि सुधारने की अनुमति दे। राजेंद्र प्रसाद (सुप्रा) मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि:

"8. अभियोजन पक्ष में कमी को अभियोजन पक्ष के मामले के मैट्रिक्स में अंतर्निहित कमजोरी या अव्यक्त कील के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका लाभ आम तौर पर मामले के विचारण में अभियुक्त को मिलना चाहिए, लेकिन अभियोजन पक्ष के प्रबंधन में चूक को अपूरणीय कमी नहीं माना जा सकता है।किसी भी विचारण में किसी भी पक्ष को गलतियों को सुधारने से नहीं रोका जा सकता है। यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी असावधानी के कारण कोई सुसंगत सामग्री को अभिलेख पर नहीं लाई गई, तो अदालत को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने में उदारता दिखानी चाहिए।आखिरकार, दाण्डिक न्यायालय का कार्य आपराधिक न्याय का प्रशासन करना है, न कि पक्षों द्वारा की गई गलतियों की गणना करना या यह पता लगाना और घोषित करना कि पक्षों में से किसने बेहतर प्रदर्शन किया।"(जोर दिया गया)

17. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, प्रतिवादी/अभियोजन पक्ष द्वारा दायर शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ आरोप यह है कि वह प्रतिबंधित गांजा की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था और जिसके लिए उसने बैंक खाते के माध्यम से लेनदेन किया।उक्त बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चांपा शाखा में खोला गया है, जिसे तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री एस. भगत ने खोला था। परिवाद में बैंक खाता खोले जाने का दावा किया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्षीयों के लिए आवेदन दायर किया गया है, उनकी सूची में श्री एस. भगत का नाम छोड़ दिया गया है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त को इस कारण से कोई पूर्वाग्रह हो रहा है कि किसी गवाह से अचानक पूछताछ नहीं की जा सकती, खासकर तब जब उसका पिछला बयान आरोप पत्र में उपलब्ध नहीं है।जैसा कि माननीय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही माना है कि अदालत के पास बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 (दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 311) के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 168 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165) के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर बुलाने के लिए पर्याप्त शक्ति है और ऐसी शक्तियां कानून द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया द्वारा सच्चाई को उजागर करने के प्रयास में अदालत के हाथों को मजबूत करती हैं।इससे अभियुक्त के किसी भी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा उसे साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने तथा खंडन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है।यह कमी की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन निर्णायक कारक "मामले का न्यायोचित निर्णय" है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और/या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की पूरी योजना में अभियुक्त के खिलाफ अपराध से निराकरण करने के लिए एक अचूक प्रणाली की परिकल्पना की गई है और इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोषी बच न पाए और निर्दोष को सजा न मिले।यह भी देखा जाना चाहिए कि दण्ड प्रकिया संहिता धारा 173 (8) के प्रावधानों का दायरा पूरी तरह से अलग है तथा यह वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

19. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने, ठोस कारण बताते हुए, बीएनएसएस, 2023 की धारा 348 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुमति दी, यह देखते हुए कि अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उक्त साक्षी को बुलाने का आशय है, निश्चित रूप से बीएनएसएस, 2023 के प्रावधानों के तहत प्रतिपरीक्षा और उनकी गवाही के अधीन किया जाएगा।विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता प्रतीत नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई सार नहीं मिलता है, अतः, याचिका खारिज किये जाने योग्य है तथा तदनुसार इस खारिज किया जाता है।

सही/-
(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur